राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
जल जीवन मिशन
(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड)
75/38, इन्दर रोड़, डालनवाला,
देहरादून–उत्तराखण्ड

ई.मेल : ceswsm2020@gmail.com

पत्रांक–1608 /JJM-241(A)/2022-23 दिनांक-19 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

श्री नितेश कौशिक,
नोडल अधिकारी,
के.आर.सी. हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट,
स्वामी रामनगर, जॉलीग्राण्ट, देहरादून।

विषयः– राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के मार्गदर्शन के अनुसार न्याय पंचायत स्तर पर लेवल–3 के अंतर्गत ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) तथा पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के प्रतिनिधियों के लिये एक दिवसीय गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पूर्व क्रियान्वयन चरण (Pre- Implementation Phase) के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं साथ ही क्रियान्वयन चरण (Implementation Phase) की अधिकतर गुरूत्व एकल पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण होने की ओर अग्रसर हैं। ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन चरण (Implementation Phase) के कार्य पूर्ण होने पर इन योजनाओं को ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) को संचालन एवं रखरखाव हेतु हस्तांतरित कर दिया जायेगा।

इस क्रम में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) तथा पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अतः समस्त न्याय पंचायतों के स्तर पर एक दिवसीय गैर– आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर सम्बन्धित हितधारियों को योजना हस्तांतरण, संचालन एवं रखरखाव, भूरा जल प्रबन्धन, पंचायतीराज विभाग से Convergence के माध्यम से प्राप्त धनराशि के उपयोग तथा जल–मूल्य का संग्रहण आदि विषयों के संबंध में अवगत कराने की आवश्यकता को देखते हुये न्याय पंचायत स्तर पर लेवल–3 के अंतर्गत ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) तथा पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के प्रतिनिधियों के लिये एक दिवसीय गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कराया जाना है।

इस क्रम में अवगत कराना है कि आपके के.आर.सी. द्वारा पूर्व में दिये गये प्रस्ताव के क्रम में **सचिव महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार आपको वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 हेतु न्याय पंचायत स्तर पर लेवल–3 के अंतर्गत ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) तथा पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के प्रतिनिधियों के लिये एक दिवसीय गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** निम्न तालिकानुसार आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाता हैः–

तालिका

क्र.सं.	आवंटित जनपद	न्याय पंचायतों/बैचों की संख्या	प्रति बैच प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या	प्रस्तावित प्रतिभागियों की संख्या
1.	देहरादून	36	60	2160
2.	हरिद्वार,	46	60	2760
3.	रूद्रप्रयाग	27	60	1620
कुल		**109**		**6540**

इस हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर (छोटी न्याय पंचायतों हेतु सम्मिलित रूप से) एक दिवसीय गैर–आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा सूचीबद्ध Key Resource Centres के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) तथा पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के 60 प्रतिनिधियों का

एक बैच न्याय पंचायत स्तर पर बनाया जाना प्रस्तावित है। किसी भी ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) से सामान्यतः 03 एवं अधिकतम 04 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसकी सूची निर्धारित प्रारूप में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSCs) के अध्यक्ष की ओर से KRC प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त कर इस कार्यालय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

प्रशिक्षण के समय KRCs द्वारा आधिकारिक प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण सम्बन्धी किट उपलब्ध कराया जायेगा। जिसमें बैग, विषय–वस्तु से सम्बन्धित साहित्य, नोटबुक, पैन इत्यादि सामग्री होगी। प्रशिक्षण में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु उन्हें केवल राष्ट्रीय जल जीवन मिशन से सम्बन्धित विषय– पुस्तिका ही उपलब्ध करायी जायेगी।

समस्त प्रतिभागियों एवं अन्यों के लिए प्रशिक्षण स्थल पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन कार्यक्रम से सम्बन्धित Poster Banners की व्यवस्था, Projector एवं Screen की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, प्रसाधन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, प्रातः एवं सायंकाल की चाय तथा दोपहर में भोजन की व्यवस्था KRCs द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। KRCs को केवल प्रशिक्षार्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार ही निर्धारित दर रू0 3500.00 प्रति प्रतिभागी की दर से भुगतान किया जायेगा। KRCs का दायित्व होगा कि वह स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण स्थल तक लाने एवं ले जाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा के.आर.सी. मार्गदर्शिका के अनुसार निर्धारित दरों के अनुरूप प्रशिक्षण उपरान्त आपके द्वारा बीजक उपलब्ध कराने पर भुगतान किया जायेगा। प्रत्येक बीजक के साथ प्रशिक्षणार्थियों की बैचवार उपस्थिति (डी.पी.आर.ओ. प्रतिनिधि / जनपदीय नोडल अधिकारी प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित) संलग्न की जानी आवश्यक है। समस्त प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रशिक्षण रिपोर्ट (हार्ड व साफ्ट प्रतियों में) 15 दिवस के अन्दर जल जीवन मिशन कार्यालय में जमा करायी जानी होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपको आवंटित राज्य के 03 जनपदों के 109 न्याय पंचायतों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर (तिथि, प्रशिक्षण स्थान इत्यादि) बनाकर शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किये जा सकें।

भवदीय

ο/ c

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता को सचिव महोदय के संज्ञनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता, जल जीवन मिशन उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, जल जीवन मिशन उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री एम.के.गुप्ता, सलाहकार, जल जीवन मिशन उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. नोडल अधिकारी, जल जीवन मिशन उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं रूद्रप्रयाग।
6. जिला पंचायतराज अधिकारी, जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं रूद्रप्रयाग।

ο/ c

मिशन निदेशक